भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 1742
गुरूवार, 13 मार्च, 2025/22 फाल्गुन, 1946 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

साहसिक पर्यटन

1742 श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में साहसिक पर्यटन असंगठित और अविनियमित बना हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने साहसिक पर्यटन क्षेत्र को संगठित और विनियमित करने के लिए कोई सक्रिय और ठोस उपाय किए हैं;

(ग) क्या सरकार को लापरवाही, चिकित्सा सुविधाओं की कमी आदि के कारण साहसिक पर्यटन स्थलों पर मौतों और दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या की जानकारी है;

(घ) क्या सरकार साहसिक पर्यटन में भाग लेने के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों का आंकड़ा रखती है; और

(ङ) क्या सरकार यह मानती है कि पर्यटन क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) योगदान को बढ़ाने में साहसिक पर्यटन बड़ी भूमिका निभा सकता है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (ङ): साहसिक पर्यटन सहित पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का विकास और संवर्धन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) प्रशासन द्वारा किया जाता है। मंत्रालय विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से साहसिक पर्यटन सहित देश के विभिन्न पर्यटन उत्पादों का विकास और संवर्धन करके राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर आदर्श एडवेंचर सुरक्षा दिशा-निर्देश तैयार किए हैं, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में एडवेंचर पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और मानकीकृत ढांचा स्थापित करना है। सुरक्षा प्रोटोकॉल को अपनाने एवं तैयार करने/अपडेट करने के लिए ये दिशा-निर्देश सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को भेजे गए हैं।

सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे एडवेंचर से संबंधित सभी कार्यकलापों पर कड़ी निगरानी रखें तथा सभी ऑपरेटरों द्वारा सुरक्षा नियमों और लाइसेंसिंग मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

पर्यटन मंत्रालय एडवेंचर पर्यटन में भाग लेने के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं का डेटा नहीं रखता है।

*****